झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017

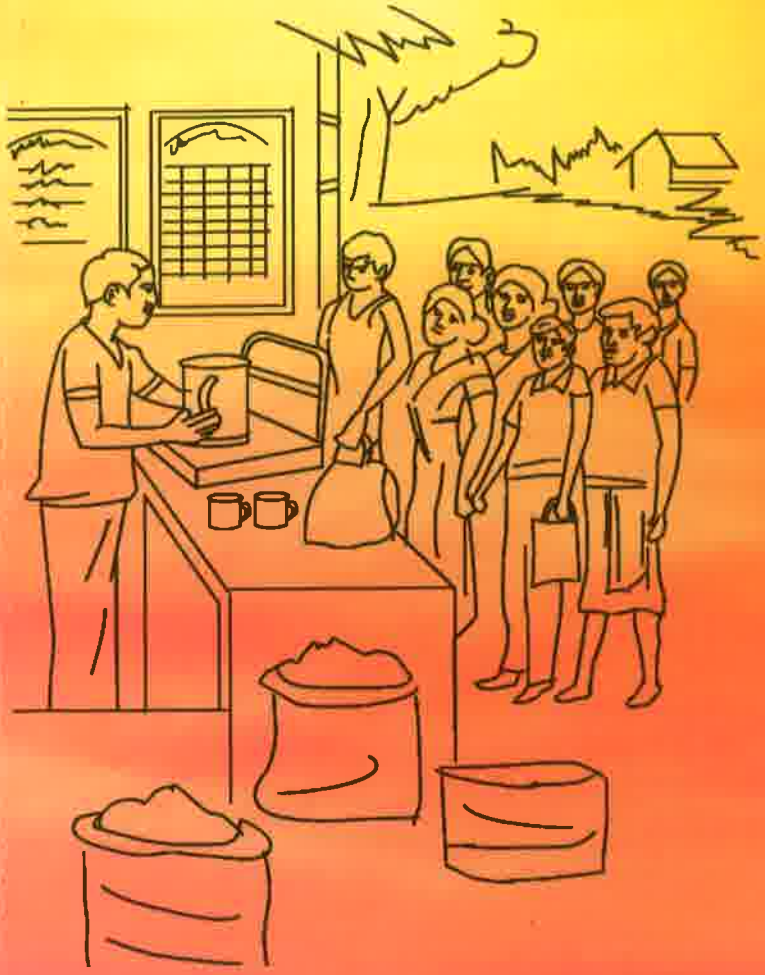

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अधिसूचना

विषयः– ''झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017'' की स्वीकृति।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 सपठित उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या G.S.R.213(E)दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्ते कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध मे झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2017 का गठन निम्नवत् किया जाता है–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम ''झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017'' है।

(ii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएँ

(i) **नियंत्रण आदेश से अभिप्रत** झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 है

(ii) **अधिनियम** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10)

(iii) **केन्द्रीय आदेश** से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015;

(iv) **राज्य सरकार** से अभिप्रेत है झाारखण्ड राज्य सरकार

(v) **विभाग** से अभिप्रेत है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झाारखण्ड सरकार

(vi) **खाद्य आयुक्त** से अभिप्रेत है खाद्य आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार

(vii) **'निदेशालय'**से अभिप्रेत है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार

(viii) **'निदेशक'**से अभिप्रेत है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के निदेशक

(ix) **'अपील प्राधिकारी'**से अभिप्रेत है उपायुक्त अथवा इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी।

(x) **'प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी का पदाधिकारी।

(xi) **'निगम'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

(xii) **'सक्षम पदाधिकारी'**से अभिप्रेत है किसी कार्य के लिये चिह्नित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो।

(xiii) **'अनुज्ञापन पदाधिकारी'**से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञिप्त निर्गत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानो के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकारी जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन

पदाधिकारी / अपर समाहर्ता (आपूर्ति) होंगे।

(xiv) **'उचित मूल्य की दुकान'** से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने लिए अनुज्ञप्ति प्रदत हो।

(xv) **'उचित मूल्य की दुकान मालिक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा समूह जिन्हे आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदत हों।

(xvi) **'सार्वजनिक वितरण प्रणाली'** से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से राशन कार्डधारकों को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है।

(xvii) **राशन कार्ड** से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्ड।

(a) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को जारी किया राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड)।

(b) अन्त्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।

(c) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।

(xviii) **'अन्त्योदय परिवार'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित किये गए वैसे परिवार जिन्हें अन्त्योदय अन्य योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो।

(xix) **'पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार'** से अभिप्रेत है अध्याय–II के खण्ड 4 मे वर्णित परिवार।

(xx) **'पात्र आवेदक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो एवं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तो को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(xxi) **'आवंटन माह'** से अभिप्रेत है वह मास जिसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

(xxii) **'राशन कार्ड सेवा केन्द्र'** से अभिप्रेत है प्रज्ञा केंद्र अथवा/एवं प्रखण्ड तथा नगर निकाय मुख्यालय में अवस्थित ऐसा केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कारवाई हेतु संसूचित हो।

(xxiii) **'राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार'** से अभिप्रेत है जिला आपूर्ति पदा0/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) आथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से न्यून न हो।

(xxiv) **'राज्य स्तरीय परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता'** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य नियम के अधीन गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आावश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्त्ता।

(xxv) **'डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता'** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं पविहन हेतु नियुक्त अभिकर्त्ता।

(xxvi) **'ई–पॉस मशीन'** से अभिप्रेत है लाभुको की पहचान का सत्यापन एवं विक्रय के पारगमन हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर अधिष्ठापित मशीन।

(xxvii) **'संपर्क पदाधिकारी (पी0एम0यू0)'** से अभिप्रेत है जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत उचित मूल्यों की दुकान के स्वचालन के प्रबंधन हेतु गठित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) का सदस्य जो संबंधित उचित मूल्य की दुकान हेतु उतरदायी हो।

(xxviii) **'निरीक्षी पदाधिकारी'**से अभिप्रेत है अध्याय–VIII के धारा 35 (i) के अन्तर्गत अधिसूचित पदाधिकारी।

अध्याय–2

राशन कार्ड

3. पात्रता

(i) केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत राज्य हेतु निर्धारित जनसंख्या का प्रतिशत की अधिसीमा में जनवितरण प्रणाली से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप–दण्डों के अनुसार पात्रता निर्द्यारित की जाएगी।

(ii) तीन प्रकार के गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होगे।

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालू किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित परिवार।

(ख) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ।

(ग) अन्य गृहस्थ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लक्षित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।

(iii) उपखण्ड (ii) (क) के लाभार्थी प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होंगे।

(iv) अन्त्योदय अन्न योजना के वर्तमान गृहस्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी लाभार्थी बने रहेगें यदि वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अन्तर्गत पात्र होते है।

(v) उपखण्ड (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होगें।

4. पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

(i) खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थों की पहचान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अपवर्जन एवं समावेशन मानकों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) समावेशन मानकों निम्नवत् होगें :–

(a) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि /नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके

परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिश्त 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपकम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि मे नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

(e) कैंसर, एड्स कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगर पालिका / न्यास इत्यादि मे नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(f) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति। उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रो के लिए निम्नलिखित वर्गो को भी शामिल किया जाता हैं:–

(क) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker) / झाड़ूकश (Sweeper) ।

(ख) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (ConstructionWorker) / राजमिस्त्री / (Mason) अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour) / घरेलू श्रमिक (DomesticWorker) /कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्यश्रमिक (Coolie and other head load worker) / रिक्शाचालक (Rickshaw Puller) / ठेला चालक (Thela Puller)

(ग) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor) / फेरीवाला (Hawker) / छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment) / सुरक्षा प्रहरी (SecurityGuard) / पेन्टर (Painter) / वेल्डर (Welder) / बिजली मिस्त्री (Electrician) / मैकेनिक (Mechanic) / दर्जी (Tailor) / नलसाज (Plumber) / माली (Mali) / धोबी (Washerman) / मोची (Cobbler) ।

(घ) अनाथ बच्चे / दीनहीन एवं निराश्रित महिलाओं वाला परिवार / शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति जिसमे कोई पुरूष सदस्य नहीं / समलैंगिक व्यक्ति / Commercial Sex Workers तथा उनके बच्चे ।

नोटः– समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों / परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नही होगा।

(iii) अपवर्जन मानक निम्नवत् होगें:–

(a) परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित हो अथवा

(b) परिवार का कोई सदस्य, आयकर दाता हो या कोई सदस्य GST के तहत् निबंधित हो।

(c) परिवार के किसी सदस्य के नाम से आर्म्स निबेधन हो या लाईसेंस हो ।

(d) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा

(e) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है अथवा

(f) परिवार के पास रेफ्रिजेटर / एयर कंडिशनर / वॉशींग मशीन / जेनरेटर / लैंडलाइन टेलिफोन / गीजर / MVI Act के तहत परिभाषित कोई भी Vehicle

(g) ऐसा परिवार जिसके पास अपना पक्का मकान हो (अपवाद– सरकारी आवास योजना के लाभुक

(h) ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यो की कुल वार्षिक आय मिला कर बहत्तर हजार रूपये (Rs 72000/-) से अधिक हो

(iv) अपवर्जन एवं समावेशन मानकों में राज्य सरकार /विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।

(v) अपवर्जन एवं समावेशन मानकों को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्षित किया जाएगा।

(vi) खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में उल्लेखित सभी प्रकार के गृहस्थों हेतु अलग अलग राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।

5. लाभार्थी के डाटा–बेस को सार्वजनिक पटल पर रखना

(i) राज्य सरकार अंकीकृत डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना एवं विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण सॉफटवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाए, जिससे डाटा बेस स्वतः अद्यतन हो जाए।

(ii) राज्य सरकार लाभार्थियों की अंतिम सूची विभागीय बेव पोर्टल एवं ग्राम पंचायतों /नगर निकायों के सूचना पट्ट पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेगी कि कोटिवार लाभार्थियों की सूची स्वतः स्पष्ट हो।

6. राशन कार्ड प्रबंधन प्रणालीः

(i) राशन कार्ड के प्रबंधन एवं अद्यतनीकरण हेतु एक वेब आधारित गतिशील राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा।

(क) वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते है किन्तु किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, वे नए राशन कार्ड के निर्गमन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन/राशन कार्ड सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे।

(ख) कॉर्ड के गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर लाभार्थी राज्य सरकार/विभाग द्वारा तय शुल्क के साथ राशन कार्ड की द्वितियक प्रति हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। नए राशन कार्ड प्राप्त करने के एवज में क्षतिग्रस्त राशन कार्ड समर्पित करना होगा।

(ग) अगर नया राशन कार्ड निर्गत करने के उपरान्त खोया हुआ पुराना राशन कार्ड मिल जाता है, तो नया राशन कॉर्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुराना राशन कार्ड, राशन कॉर्ड निर्गत करनेवाले पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) राशन कॉर्ड की किसी भी प्रविष्टि में सुधार/बदलाव हेतु लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के साथ समर्थन दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।

(ड़) राशन कार्ड प्रंबधन प्रणाली के डाटाबेस से लाभार्थी के स्वेच्छापूर्वक वापसी, उनके अपात्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा उनकी मृत्यु होने पर संबंधित लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।

(च) लाभार्थी परिवार के बँटवारे की स्थिति में राशन कार्ड के दो या अधिक कॉर्डो में बँटवारें हेतु लाभार्थी (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेगा। लाभार्थी को प्राप्त राशन कार्डो में से एक पुराने नम्बर एवं शेष नए नम्बरों से जारी किए जायेगें।

(छ) लाभार्थी के 'अन्त्योदय परिवार' से पूर्वविक्ता परिवार में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड हेतु लाभार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क अदायगी के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। तदोपरान्त विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे पुराने राशन कॉर्ड के स्थान पर नया राशन कॉर्ड जारी किया जायेगाा।

(ज) लाभार्थी विभागीय वेब पोर्टल से ई–राशन कार्ड भी प्राप्त कर सकते है परन्तु इसकी वैधता मात्र 90 दिनों तक ही होगी।

(ii) लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी हेतु निःशुल्क एस.एम.एस. एलर्ट प्राप्त काने हेतु अनुरोध कर सकता है।

(iii) राशन कार्ड आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

(क) आवेदन को कम्प्यूटर जनित टोकन संख्या जारी होगा।

(ख) राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार के वेबसाईट पर आवेदन की सूचना की प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट लेकर वे सक्षम पदाधिकारी को जांच हेतु अग्रसारित करेंगे। सक्षम पदाधिकारी आवेदन के जाँचोपरान्त ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करते हुए निर्गमन पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्गमन पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड जारी किया जायेगा, जिसका प्रिंट आउट ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकेगा। भविष्य में ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकृत हो जाने की स्थिति में यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से भी की जा सकेगी।

7. अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

(i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात् वैसे पविवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राश्न कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा।

(ii) यदि कोर्द व्यक्ति इस आदेश के उपखण्ड 4 (iii) (iv) के

अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसके विरुद्ध निम्न कार्रवाई की जायेगी।

(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी,

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए लाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्श के ब्याज पर वसूल की जायेगी।

(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी।

8. राशन कार्ड हेतु अन्य वैधानिक प्रावधानः

(i) राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया होगी :

परन्तु जहाँ किसी गृहस्थीं में किसी समय 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई स्त्री नहीं है किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डो के लिए पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी मुखिया हो जायेगी।

(ii) राशन कार्ड में मुखिया तथा उनके सदस्यों के नाम आयु तथा आवास का पता स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया जाएगा। राशन कार्ड, कार्डधारी के आवास के क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध किया जाएगा।

परन्तु राज्य सरकार/विभाग अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए राशन कार्ड को किसी दुकान विशेष से संबद्ध करने के स्थान पर उस क्षेत्र के सभी उचित मूल्य की दुकानों से संबद्ध कर सकेगी।

(iii) नवीन राशनकार्ड धारक अथवा संशोधन के साथ वर्त्तमान राशनकार्ड धारक अगले माह से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(iv) राशन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण एवं सही सूचनादेना आवश्यक होगा।

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके स्वयं के नाम पर अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से पूर्व से राशन कार्ड

निर्गत हो, के द्वारा नया राशन कार्ड के लिए न तो आवेदन दिया जाऐगा और न ही उनके द्वारा राशन कार्ड प्राप्त किया जायेगा। लाभार्थी परिवार के बँटवारें की स्थिति में खण्ड–6 के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार आयोग/छद्म (बोगस) राशन कार्ड को को रद्द करने प्रक्रिया की सत्त चालू रखेगी। इसमें पंचायती राज्य के निर्वाचित जन प्रतिनिधि के अलावा सम्बन्धित ज0वि0प्र0 विक्रेता को सूचना संग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी सूचक द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारवाई की जा सकेगी। अयोग्य/छद्म राशन कार्ड रद्द करने के लिए तय मानकों के अलावा सम्बन्धित प्रखण्ड/शहरी क्षेत्रों के वार्डो के नोडल पदाधिकारी/निर्गमन पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा स्थल जाँचोपरान्त ऐसे राशन कार्डो को रद्द किया जा सकेगा।

(vii) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड तब तक वैद्य रहेगा जबतक उसे रद्द नहीं कर दिया जाय या उसकी निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय।

(viii) राशन कार्ड के आवेदनों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली–2011 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के अन्दर राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

(ix) सामान्यतः राशन कार्ड पाँच वर्षो के लिए मान्य होगा। पाँच वर्षों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राशन कार्डो का नवीकरण किया जा सकेगा।

(x) राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारक का स्पष्ट रुप से नाम, पूर्ण पता उम्र परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का पूर्ण नाम उम्र तथा राशन कार्ड धारक से संबंध एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम, जिसकी दुकान से उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी, उल्लिखित किया जायेगा।

(xi) कार्डधारकों को विभाग द्वारा प्रथम राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) इस आदेश के अधीन निर्गत राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पति होगी एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति/परिवार की होगी।

(xiii) अगर राशन कार्ड खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है वैसी स्थिति में संबंधित द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर विभाग द्वारा निर्धरित शुल्क प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

(xiv) विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों से आधार,बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त कर राशन कार्ड डाटाबेस में सीडिंग किया जायेगा। इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में लाभुक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित किया जायेगा।

(xv) राशन कार्ड का उपयोग पहचान या निवास के सबूत दस्तावेज के रुप मे नहीं किया जाएगा।

(xvi) राज्य सरकार इस खंड के अधीन सभी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा तैयार सॉफटवेर में या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फील्ड और मानकों के अनुसार प्रतिधारित करेगी।

(xvii) राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के ब्यौरे और सेवाओं के परिदान के लिए समय–सीमा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और राज्य के वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(xviii) राशन कार्ड अहस्तांतरणीय होगा।

(xix) लाभार्थी के आवासीय परिवर्तन की स्थिति मे राशन कार्ड को समर्पित कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा एवं यदि वह पुनः नया कार्ड बनवाना चाहेगा तो उसे इस प्रमाण–पत्र के साथ नये राशन कार्ड के साथ पुनः आवेदन करना पड़ेगा

अध्याय–3

(अनुज्ञापन)

9. जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन

(i) जन वितरण प्रणाली की नई दुकानो का आवंटन निम्नलिखित संस्थाओ/वर्गो को किया जायेगा जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र की हो :

(क) महिला स्वयं सहायता समूह

(ख) महिला सहयोग समितियाँ

(ग) पैक्स/लैम्पस

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ

(ड़) वैसा समूह जिसके सभी सदस्य 10 या इससे अधिक विकलांगता की परिभाषा में आते हैं। सभी की विकलांगता 40 प्रतिशत से उपर की होनी चाहिए। जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन में ग्रेड–II महिला स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी। इनके न रहने पर ग्रेड–I महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिमानता दी जायेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थानों/वर्गो को नहीं किया जायेगा :–

(क) वैसे महिला स्वंय सहायता समूह महिला सहयोग समितियाँ,पैक्स/लैम्पस, भूतपूर्व सैनिकों की

सहयोग समितियाँ जो दिवालिया, घोषित हो चुकी हों।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये हों।

(iii) रिक्त होने पर अनुज्ञप्तियाँ कंडिका 9 (i) पर वर्णित संस्थानों/वर्गो को ही दी जा सकेगी।

(iv) जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी–

(क) समूह का निबंधन प्रमाण–पत्र

(ख) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण–पत्र,

(ग) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण–पत्र,

(घ) बैक खाता,

(ड़) निर्धारित शुल्क,

(च) महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति मे चक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(छ) विकलांग व्यक्तियों का सूमह होने की स्थिति मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे विकलांगता प्रमाण–पत्र,

(ज) भूतपूर्व सैनिकों की समितियाँ होने की स्थिति मे

पेशन प्रमाण–पत्र,

(झ) व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज या व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम–से–कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।

(ञ) लाभुक क्षेत्र के दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारण क्षमता का शपथ–पत्र/घोशणा–पत्र।

(v) वैसी जन वितरण प्रणाली दुकानों, जो किसी समूह की न हो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्द्यारित प्रावधानों के अनुरुप अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार/विभाग चाहे तो लिखित आदेश से कंडिका 9 (i) से 9 (v) तक अंकित प्रावधानो में परिवर्तन कर सकती है।

(vii) लगभग 1000 (एक हजार) जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली की एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। विभाग द्वारा समय–समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

10. जन वितरण प्रणाली दुकानों, किरासन तेल ठेला भेंडर, किरासन तेल थोक विक्रेता का अनुज्ञापन तथा विनियमन :–

(i) कोई भी व्यक्ति/संस्था जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का व्यापार तब तक नहीं

कर सकेगा जब तक उसे इस कार्य हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत न हो।

(ii) उचित दर की दुकान के स्वामी को उक्त आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को अधिसूचित किया जायेगा तथा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(iii) उचित दर दुकान के स्वामिओं को अनुज्ञप्ति उचित दर पर दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान मे रखते हुए जारी की जायेगी।

(iv) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उचित दर दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डधारकों की संख्या युक्तियुक्त हो, उचित दर दुकान इस प्रकार अवस्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्डधारकों को उचित दर दुकान तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी जनजातीय और पहुँच के लिए ऐसे अन्य विकट क्षेत्र में उचित कवरेज प्रदान किया जाए। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने हेतु साधारनतया 3 किलोमीटर एवं दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्र जहाँ आवागमन का कोई रास्ता नहीं हो) में 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना पड़े।

(v) जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप नियंत्रण आदेश के तहत नियंत्रित होंगे। नियंत्रण आदेश निर्गत की तिथि से बिहार व्यापारिक

वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1948 के अंतर्गत निर्गत की जा चुकी हैं, वे अनुज्ञापन अवधि में वैध मानी जायेंगी, परन्तु उनका नवीकरण नियंत्रण आदेश के तहत् किया जायेगा।

(vi) नयी दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए उपायुक्त के अनुमोदनापरान्त वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा एंव आवेदकों द्वारा विहित प्रपत्र–I में संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन विहित प्रपत्र–III में कंडिका–13 (ii) में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(viii) आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आवेदन पत्र की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराई जायेगी। सक्षम पदाधिकारी जाँचोपरान्त ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उचित मूल्य के दुकानों एवं किरासन तेल ठेला भेंडरों की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

(ix) किरासन तेल थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ आवेदन उपायुक्त को समर्पित किया जायेगा।

उपायुक्त आवेदन को जाँच हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी की अग्रसारित करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर उपायुक्त के द्वारा अनुज्ञप्ति (प्रपत्र–VII) निर्गत की जायेगी।

(x) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत किये जाने के एक माह के अन्दर सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(xi) निलम्बन अवधि में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होगा। निलम्बन समाप्ति के उपरान्त एकमुश्त नवीकरण शुल्क जमा कराकर अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जा सकेगा।

(xii) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, निर्गत अथवा नवीनीकृत, में वस्तु/वस्तुओं जिसका व्यापार किया जाना है तथा व्यापार स्थल जहाँ अनुज्ञप्तिधारक डीलर के रूप में कार्य करेगा, का स्पष्ट विवरण अंकित रहेगा।

(xiii) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक को पुरानी अनुज्ञप्ति के अवसान के 45 दिनों पूर्व अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के साथ आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

(xiv) अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु समर्पित आवेदन निर्धारित समय सीमा में निस्तारित कर दिया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा तय समय सीमा में आवेदन समर्पित कर दिया जाता है एवं उसे अस्वीकार नहीं किया जाता है तो आवेदन के निष्पादन होने तक उनकी अनुज्ञप्ति वैध मानी जायेगी।।

क्र0 सं0	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञापन पदाधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	उचित मूल्य की दुकान	संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी / अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)	जिला / क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाना है।
2	किरासन तेल ठेला भेंडर		
3	किरासन तेल थोक विक्रेता	उपायुक्त	जिला, जिसके अन्तर्गत विक्रेता की नियुक्ति की जानी है।

(xv) राज्य सरकार उचित दर दुकान के स्वामी के लिए कमीशन की रकम नियत करेगी जिसे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

(xvi) राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित दर दुकान के स्वामियों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञात करेगी।

11. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्रता:

कोई भी विक्रेता जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा यदि उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी वस्तु अथवा उस वस्तु से निकट रूप से संबंधित किसी अन्य वस्तु में निजी व्यापारिक हित हो।

व्याख्या :– इस उपखण्ड़ के निमित्त –

(i) व्यापारिक हित से अभिप्रेत है व्यापार, साझेदारी एंव किसी व्यवसायिक भवन में मकान–मालिक एंव

किराएदार का रिश्ता।

(ii) डीजल एंव पेट्रोल, किरासन से निकट रूप से संबंधित माने जायेंगे।

(iii) परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति, स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी,उनके विवाहित/ अविवाहित बच्चे एंव आश्रित माता–पिता।

यह कि इस उपखण्ड के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जायेगी जबकि संबंधित विक्रेता/अभिकर्त्ता या उनके परिवार का काई सदस्य, जैसा उपयुक्त हो, इस आदेश के लागू होने के तीन माह के अन्दर अपने निजी व्यवसायिक हित का परित्याग कर देता है।

यह भी कि जिला को आवंटित किरासन तेल का वितरण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों एवं ठेला भेंडरों के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु विभाग समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करेगा।

यह भी कि किरासन थोक विक्रेता, ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं ठेला भेंडरों को उपायुक्त के निर्देशानुसार किरासन तेल वितरित करेगा।

12. अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजनः

(i) नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने के साथ–साथ जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तो, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने एवं

अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी में निहित रहेंगी।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएँगी। निरीक्षी पदाधिकारी (कंडिका–35 (i) के अन्तर्गत परिभाषित) से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में केवल अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता से कारण पृच्छा कर उचित कर्रावाई की जायेगी।

(iii) अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किसी भी अनुज्ञप्ति को निरस्त अथवा नवीकरण हेतु आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यदि–

(क) अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा हो,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,

(ग) अनुज्ञप्तिधारक के ऐसे व्यावसायिक हित हो जो जन वितरण प्रणाली की दुकान को सुचारू रूप से चलाने में बाधक हो।

अध्याय–4

(अनुज्ञप्तिधारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व)

13. उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारकों के कर्तव्य एंव उत्तरदायित्व

(i) उचित मूल्य दुकान का संचालन आवंटित व्यक्ति/संस्था अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

(ii) राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा। साथ ही विक्रेता लाभुकों को वितरित की गई सामग्री का रसीद सुपुर्द करेगा।

(iii) कोई राशन कार्डधारक, जो उचित मूल्य की दुकान के मालिक के अभिलेखन से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, दुकान मालिक को निर्धारित रू0 10/–(दस) फीस एवं बाजार दर पर फोटो कॉपी की लागत जमा कर लिखित अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान का स्वामी राशन कार्डधारक को ऐसे अभिलेख का उद्धरण प्रदान करेगा।

(iv) दुकान के प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के सम्बंध में सूचना–पट्ट पर जानकारी संप्रदर्शन करना :–

(क) पूर्विक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं अंत्योदय लाभान्वितों की सूची

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की हकदारी

(ग) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक

(घ) आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक

(ड़) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र सहित प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम।

(च) टॉल फ्री हेल्पलाईन न0

(v) राशन कार्डधारकों के पंजी, निर्गम एवं विक्रय पंजियों का रख रखाव करना।

(vi) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेखों यथा राशन कार्ड पंजी, भण्डार पंजी(प्रपत्र–VI), वितरण पंजी (प्रपत्र–V) इत्यादि को निरीक्षी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जाता।

(vii) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदान किये जा रहे खाद्य पदार्थों के सैम्पल का संप्रदर्शन करना।

(viii) निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना

जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँग की जायें।

(ix) माह के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब मासिक प्रतिवेदन (प्रपत्र–VI) के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / पणन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना।

(x) सूचना– पट्ट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकान को खोला जाना और बंद किया जाना।

(xi) उचित मूल्य दुकान पर ई–पॉस मशीन का उपयोग करते हुए जन वितरण प्रणाली के सभी पारगमन संपन्न करना।

(xii) ई–पॉस मशीन में खराबी/व्यवधान आने पर संबंधित संपर्क पदाधिकारी(पी0एम0यू0) को अविलंब सूचना देना। संपर्क पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकरी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित करना।

(xiii) प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण को रोके जाने के उद्देश्य से, आवंटिती संस्था को ऐसे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना एंव उनका नियमित संधारण करना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(xiv) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारक जो किसी

बाट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसका सत्यापन अपेक्षित है।

(xii) **उचित मूल्य दुकान अनुज्ञप्तिधारी नहीं करेगा–**

(क) राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन भण्डार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार किया जाना।

(ख) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड संबंधित व्यक्ति को वापस नहीं करना।

(ग) राशन कार्ड धारी अथवा वितरण/स्टॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित करना।

(घ) राशन कार्ड अथवा वितरण/स्टॉक /मिलान पंजी अथवा किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित करना।

(ड़) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करना अथवा खुले बाजार में फेर देना।

(च) उचित मूल्य की दुकान को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित करना अथवा किराए पर देना।

(छ) अनुज्ञापन पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यावधि के दौरान दुकान बन्द रखना।

(ज) स्वेच्छापूर्वक ई–पॉस का उपयोग किए बिना खाद्यान्न का वितरण करना।

(झ) बिना सत्यापित एंव मुहरांकित माप–तौल उपकरणों के खाद्यान्न,किरासन तेल इत्यादि का वितरण करना।

(xiii) उचित मूल्य की दुकान में संचालन में संचालन हेतु अन्य प्रावधान–

(क) उचित मूल्य की दुकानों का रंग हरा होगा।

(ख) अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

(ग) सूचना–पट्ट परिशिष्ट–I के अनुसार रखा जायेगा।

(घ) मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन–पट्ट परिशिष्ट–II के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा।

(ड़) परिशिष्ट–III के अनुसार निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा।

(च) माप–तौल उपकरणों का सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रदर्शित किया जायेगा।

14. जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की कार्य अवधि एंव अवकाश एवं उचित मूल्य के दुकान का आकार

(i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट ऐक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश एंव साप्ताहिक बंदी सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे अपराहन तक खुली रहेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन में असमर्थ हो तो उसके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा, जिनके द्वारा इसकी सूचना अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिया जायेगा। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत ही उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उक्त अवधि के लिए दुकान बंद रखने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ii) प्रतिमाह के 1ली0 तारीख से 4थी तारीख तक सॉफ्टवेयर, केन्द्रीय सर्वर अपडेट, ई–पॉस मशीन में डाउनलोड किया जाना है। अतः प्रतिमाह 1ली0 तारीख से 4थी तारीख तक जन वितरण प्रणाली दुकान वितरण हेतु बंद रहेगी।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के सामने इतना खुला स्थान अवश्य होना चाहिए जिसमें पंक्तिवृद्ध होकर महिला एंव पुरूष राशन कार्डधारक आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सकें।

आवंटन, उठाव, संग्रहण परिवहन एवं वितरण)

15. वितरण

(i) आवंटित संस्था द्वारा कार्ड धारियों को खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक सामग्री उस मात्रा एंव अनुपात में तथा उस रीति से वितरण किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ii) उचित मूल्य दुकान से पात्र गृहस्थियों को यथा अवधारित दरों पर खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा।

(iii) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण माह की 5 वीं तारीख से प्रारंभ करेगा। परन्तु जब किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो विक्रेता उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता सिमति के सदस्यों को कारणों सहित वितरण प्रारंभ करने की तारीख संसूचित करेगा।

(iv) आवंटिती संस्था और उसके पदाधिकारी उचित मूल्य दुकान को प्रदाय किए गए समस्त उपकरणों के समुचित रख–रखाव एंव सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(v) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता वितरण के समय राशन कार्ड धारियों से उसकी पहचान हेतु राज्य शासन द्वारा

विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जीवमितीय (बायोमेट्रिक) की मांग कर सकेगा।

(vi) यदि राशन कार्डधारक किसी विशिष्ट माह के दौरान उस मास की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता है तो वह ऐसी शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा। कार्डधारक उसको निर्धारित पात्रता की सामग्री को एकमुश्त अथवा किश्तों में प्राप्त कर सकेगा।

(vii) किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड होने के उपरान्त ही उसे खाद्यान्न आदि उठाव करने की अनुमति प्रदान होगी परन्तु राशन कार्ड होने मात्र से ही उसे खाद्यान्न आदि प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसका नाम ई–पॉस मशीन में भी होना चाहिए।

(viii) उचित मूल्य दुकानदार कोई ऐसा सामग्री का वितरण नहीं करेगा जिसकी गुणवत्ता भण्ड़ार अथवा अन्य किसी कारण से मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न रह गई हो।

(ix) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता संबंधित राशन कार्ड धारियों/गृहस्थी के सदस्यों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान नहीं करेगा। परन्तु यदि कोई कार्ड धारक और उसके गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु या निःशक्त है उसकी पात्रता का खाद्यान्न एंव अन्य सामग्री कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जा सकेगा। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ऐसे समस्त संव्यवहार वितरण का

पृथक से अभिलेख संधारित करेगा।

(ग) उचित मूल्य दुकान/तेल कंपनी/थोक व्यापारी तथा उनका प्राधिकृत परिवहनकर्त्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन का परिवहन, भण्डारण या विक्रय नहीं करेगा।

16. राज्य स्तरीय एंव डोर–स्टेप डिलिवरी में प्रयुक्त परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता एंव उत्तरदायित्वः

(i) यह कि इस आदेश में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त सभी परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता–

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा चावल, गेहूँ, नमक, चीनी इत्यादि वस्तुएँ नियमित गुणवत्ता एंव मात्रा में प्राप्ति किए जाएँ एंव गुणवत्ता तथा मात्रा में बिना ह्रास हुए सुपुर्दगी स्थल पर हस्तगत करा दें।

(ख) बिना किसी विलंब के वितरण हेतु हस्तगत आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण प्रभार लेंगे एंव परिवहन करेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों से गाड़ी खड़ा रखने की आवश्यकाता होती है तो निगम अथवा जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के परिवहन कार्य में प्रयुक्त सभी वाहनों में अधिष्ठापित जी.पी.

एस. मार्गन यंत्र के रख–रखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाएँगें।

(घ) प्राप्त भंडार के सुरक्षित परिवहन की समुचित व्यवस्था करेंगे एंव परिवहन के क्रम में किसी ह्रास अथवा क्षति हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(ड़) किसी भी हालत में प्रत्यक्ष या परोक्ष इत्यादि सभी कर्मचारियों को फोटो–युक्त पहचान पत्र प्रदान करेंगे।

(च) चालक, खलासी, मैनेजर, लिपिक इत्यादि सभी कर्मचारियों को फोटो–युक्त पहचान पत्र प्रदान करेंगे।

(छ) परिवहन विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य वैधानिक प्राधिकार के नियमों,प्रावधानों एंव आदेशों का पालन करेंगे।

(ज) जन वितरण प्रणाली की सामग्रियों के परिवहन एंव हथालन से संबंधित पूर्ण एंव त्रुटिहीन लेखा संधारित करेंगे। साथ ही राज्य सरकार एंव निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित पंजी एंव रिटर्न संधारित करेंगे।

(छ) परिहवन विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य वैधानिक प्राधिकार के नियमों, प्रावधानों एंव आदेशों का पालन करेंगे।

(ज) जन वितरण प्रणाली की सामग्रियों के परिवहन

एंव हथालन से संबंधित पूर्ण एंव त्रुटिहीन लेखा संधारित करेंगे। साथ ही राज्य सरकार एंव निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित पंजी एंव रिटर्न संधारित करेंगे।

(झ) निगम के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा की शर्तों के अनुपालन सख्ती से करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ञ) जन वितरण प्रणाली सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को अपने लागत पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट रंग में पेंट कराएँगे एंव निर्धारित रंग एंव आकार में वाहनों पर सूचना अंकित करेंगे।

(त) राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा परिवहन तथा हथालन के उचित प्रबंधन हेतु समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करेंगे।

(ii) राज्य–स्तरीय परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता–

(क) झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा किए जाएँगे।

(ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह भारतीय खाद्य निगम संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनकि आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदामों तक समान एंव गुणवत्ता में

समय–समय के अंतर्गत गोदाम प्रभारी को हस्तगत कराएँगें।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से गेट पास एंव झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के उठाव प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) की प्रति प्राप्त करेंगे एंव डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर गोदाम प्रभारी की पावती प्राप्त करेंगे।

(घ) परिवहन से संबंधित निगम सूचनाओं का संधारण करेंगे–

(i) सामग्री प्राप्ति एंव डिलिवरी की तिथि एंव समय

(ii) गोदाम जहाँ डिलीवर की तिथि एवं समय

(iii) आवंटन माह

(iv) बोरों की संख्या एवं कुल वजन

(v) उठाव हेतु अवशेष मात्रा

(vi) वाहन का निबंधन संख्या

(vii) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल संख्या

(iii) डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता–

(क) जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों

की पूरी मात्रा प्रति माह झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर आवंटित उचित मूल्य की दुकान तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय–सीमा के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराएँगें।

(ग) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक निगम लिमिटेड के गोदाम प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे एंव डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर अनुज्ञप्तिधारी की पावती करेंगे एंव दूसरी प्रति अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत करायेंगे।

(घ) परिवहन से संबंधित निम्न सूचनाओं का संधारण करेंगे–

(a) सामग्री प्राप्ति एंव डिलिवरी की तिथि एंव समय

(b) गोदाम जहाँ डिलीवर किया गया

(c) आवंटन माह

(d) बोरों की संख्या एंव कुल वजन

(e) उठाव हेतु अवशेष मात्रा

(f) वाहन का निबंधन संख्या

(g) वाहन चालक का नाम एंव मोबाईल संख्या

(h) मिलान पंजी

अध्याय–6

शर्तों का उल्लंघन

17. अनुज्ञप्ति का निलंबन एंव रद्दीकरण

(i) निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी–

(क) यदि निर्धारित समय पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हों।

(ख) लक्षित उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध नहीं कराते हों और यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर या कम मात्रा में खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हों।

(ग) लक्षित परविारों का राशन कार्ड अपने पास रखतें हों।

(घ) राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराये गलत प्रविष्टि करते हों।

(ड़) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहतें हो तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हों।

(च) अपना राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/संस्था के माध्यम से चलवाते हों।

(ज) यदि ई–पास मशीन सहित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य मशीनों (यथा डिजिटल तौल

मशीन) को जान बूझकर नुकसान पहुँचाते हों अथवा स्वेच्छाचारिता से उन मशीनों के उपयोग के बिना खाद्यान्न का वितरण करते हों।

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों,कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा निलंबित/रद्द किया जायेगा।

(iii) यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिक दर्ज की जाती है तो न्यायालय में जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेंगी।

(iv) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा करना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जायेगा।

(v) अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। अनुज्ञिप्त निलंबन के 90 दिनों के भीतर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत इस विषय में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा। 90 दिनों तक अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति स्वतः निलबन मुक्त मानी जायेगी। यदि 90 दिन की अवधि के अंदर अंतिम

निर्णय नहीं लिये जाने के कारण अनुज्ञप्ति निलंबनमुक्त हो जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी/संबंधित जिला के उपायुक्त के माध्यम से अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) अनुज्ञाप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की स्थिति में खाद्यान्न का आवंटन बंद कर निकटतम उचित मूल्य की दुकान के साथ संबंधित विक्रता के आवंटन को संबंद्ध किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबन के पश्चात अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समहर्ता (आपूर्ति) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित दुकानों को निकटतम उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के दुकान के साथ उपभोक्ताओं को संबंद्ध किया जायेगा।

(viii) उचित मूल्य की दुकान के साथ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के उपभोक्ता यथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार, अन्त्योदय परिवार एंव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परविारों को उसी विक्रेता के दुकान के साथ संबंद्ध किया जायेगा।

(ix) सामान्य परिस्थिति में दुकान से उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में परिर्वतन नहीं किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सकारण आदेश निर्गत किया जायेगा। एंव तत्संबंधी को इसकी सूचना दी जायेगी।

18. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिद्धियों का परिणाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 10) के धारा–3 के अधीन किये गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी को सिद्ध दोषी ठहरा दिये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

19. दण्ड:

(i) एकरारनामा अथवा आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन की सिथति में उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द करते हुऐ जमा प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकेगी। यह की–

(क) अनुज्ञापन पदाधिकारी संबंधित उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार को कारण बताओं नोटिस जारी किये बिना अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं कर सकते है जब तक कि उचित मूल्य की दुकानधारक को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो।

(ख) युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी कारण सहित आदेश पारित कर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकान की

अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पश्चात् दुकानधारक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिदद्धांतो का पालन करते हुए दस दिनों के अंदर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम आदेश तीन मास के भीतर पारित किया जाए।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि उचित मूल्य के दुकानधारक द्वारा किसी ऐसे अपात्र व्यक्ति को खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है या खाद्यान्न उपयोगित किया गया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो एंव ई–पॉस मशीन में नाम दर्ज नहीं हो, तो उसका मूल्य जिम्मेवार विक्रेता/कर्मचारी/व्यक्ति से वसूल कर लिया जायेगा।

(iii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान/सोसाइटी अपने प्रबंधक, विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस आदेश या केन्द्रीय आदेश की शर्त्तों या राज्य सरकार/आयुक्त/उपायुक्त/अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गए किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड (ii) के अनुसार कार्रवाई करेगा और जमा प्रतिभूति की राशि को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर लेगा।

(iv) कालाबाजारी एंव अन्य गंभीर मामलों मे कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

20. शास्ति

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा–7 के अधीन दण्ड का दायी होगा।

21. अपील

(i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने, उसके नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारिख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत तेल के थोक विक्रेता हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने, उसके नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत खाद्य आयुक्त के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(iii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(iv) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश ऐसी अवधि तक तथा जिसे कंडिका (iii) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य पक्षकार को युक्तियुक्त अवसर देने के लिए आवश्यक समझें या अपील के निपटारे तक जो पूर्वत्तर हो, प्रभावी नहीं होगा।

(v) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानदार/किरासन थोक तेल थोक विक्रेता के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण आदेश अथवा अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण से मुक्त करने हेतु तर्कसंगत आदेश पारित किया जायेगा।

22. अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन–

नियंत्रण आदेश के अधीन जारी की अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध खाद्यान्न/आवश्यक वस्तुओं का भण्डार,अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबन आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की देख–रेख में संबंधित दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर एंव मात्रा के अनुसार वितरित कर प्राप्त राशि अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय–7

(अनुश्रवण)

23. जन वितरण प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण

(i) राज्य सरकार/विभाग उचित दर दुकानों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जाचँ के बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगी।

(ii) राज्य सरकार/विभाग सुनिश्चित करेगी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का स्टॉक, जैसा की निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, के भण्डारक, परिवहन या किसी अन्य प्रक्रम पर, जब तक की राशन कार्डधारक को उसका परिदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छेड़छाड़ नहीं किया जायगा।

(iii) राज्य सरकार/विभाग राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर की दुकान के स्तरपर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सतर्कता समितियां स्थापित करेगी।

(iv) सतर्कता समितियों की बैठक सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार आयोजित की जायेगी और विभाग द्वारा बैठकों की तारीख और अवधि को अधिसूचित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार किया जायेगा।

(v) सतर्कता समितियों द्वारा की जाने वाली बैठकों की संख्या को राज्य वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा सतर्कता समितियों की बैठक में विचार–विमर्श किये गये मुद्दों पर की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार/विभाग एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत टोल फ्री कॉल सेंटर और राज्य वेब पोर्टल का उपयोग भी है।

(vii) राज्य सरकार/विभाग शिकायत निवारण अधिकारी के अद्यतन ब्योरों का व्यापाक प्रचार करेगी जैसे कि नाम टेलीफॉन न0 जिसके अंतर्गत मोबाईल न0, एवं शिकायत निवारण तंत्र के कार्यालय का पता भी शामिल होगा।

(viii) राज्य सरकार/विभाग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभुकों के बीच खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण करने के लिए जिला

शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(ix) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपील राज्य खाद्य आयोग के समक्ष की जायेगी अपील की समय सीमा अंकित करना होगा।

(x) राज्य सरकार/विभाग, शिकायतों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपबन्ध 7 के प्रारूप में त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xi) राज्य सरकार विधि के अधीन उपदर्शित नागरिक चार्टर या केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदर्श नागरिक चार्टर के आधार पर इसे जारी और अंगीकार करेगी।

(xii) राज्य सरकार राज्य में उचित दर की दुकानों के कार्यकरण के संबंध में विभिन्न स्तरों पर आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मंच भी है।

(xiii) राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी।

स्पष्टीकरण :– इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए ''एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन'' में फायदाग्राही, राशनकार्ड और अन्य डाटा बेसों काडिजिटाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन काकम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित दर दुकान के स्वचालन से सम्बन्धित कार्याकलाप शामिल हैं।

(xiv) राज्य सरकार/विभाग राशन कार्डधारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रिंट माध्यमों के साथ उचित दर दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्डो के माध्यमों से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

24. पारर्शिता और जवाबदेही :

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा और उन्हें राज्य सारकार/विभाग द्वारा यथाविहित रीति में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।

अध्याय–8

प्रकीर्ण

25. प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति:-

(i) विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से वैसे निरीक्षी पदाधिकारियों जो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून हो को नामित किया जयेगा जिन्हें जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री/वितरण के लिए संग्रहित आवश्यक वस्तुओं के परिसर के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।

(ii) उप खण्ड (i) के अधीन यदि ऐसे प्राधिकृत निरीक्षी पदाधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कराण हो कि इस इस आदेश के अधीन या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या इस आदेश की किसी शर्त्त का अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसा अधिकारी इस आदेश के उपबंधों एवं शर्त्तों को प्रवृत्त कराने की दृष्टि से किसी भी उचित मूल्य की दुकान, प्रखण्ड गोदाम/थोक विक्रेता/अर्द्धथोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता, जहाँ उसे विश्वास करने का कारण हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणााली के अधीन खाद्यान्न का अवैध भण्डारण किया जा रहा है, वह उक्त परिसरों या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या तलीशी ले सकेगा।

(iii) निरीक्षी पदाधिकारी आवश्यक वस्तुएँ जो भण्डारित की गई हों या ऐसी वस्तुएँ जिन्हें हटाया जाना है या ऐसी वस्तुएँ जिनके बारे मे उसे विश्वास करने का कारण हो कि

किसी केन्द्रीय आदेश के उल्लंघन में या इस आदेश मे अभिकथित शर्त्तों के अतिक्रमण मे स्टॉक की गयी है, से संबंधित दस्तावेजों एवं यथा भण्डारित वस्तुओं को अभिग्रहित/मोहरबंद कर सकेगा।

(iv) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के उपबंध, प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण के मामले में लागू होगा।

(v) इस संदर्भ में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, वितरण,विक्रय, भण्डारण तथा लेखा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा तथा वजन/गुणवत्ता की भी जाँच कराई जा सकेगी।

(vi) निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक/उप निदेशक के नेतृत्व में एक उड़नदस्ता दल गठित होगा इसमें सदस्य के रूप में झारखण्ड आपूर्ति सेवा के दो पणन पदाधिकारी एवं दो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। यह दल विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। यह दल विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनओं के आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकार को निदेशित करेगा।

26. विमुक्ति:-

नियंत्रण आदेश का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संचय पर लागू नहीं होगा।

(i) केन्द्रीय सरकार

(ii) राज्य सरकार

(iii) राज्य सरकार के अधिकारी, संस्थाएँ, संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियाँ

(iv) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति।

27. इस आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण:-

किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी चीज के लिए, जो इस आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28. आवश्यक निदेश देने की शक्ति:-

राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एंव जिले के उपायुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के योजनाबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगें और उचित मूल्य की दुकान/सोसाईटी ऐसे निदेशों का अनुसरण करने को आबद्ध होगें।

29. राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति:-

राज्य सरकार, सार्वजनकि वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आदेश के

किसी या समस्त खण्डों के संबंध में लिखित में विशेष आदेश जारी कर सकेगी तथा इस आदेश के किन्हीं उपबंधों से छूट भी दे सकेगी।

30. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:-

केन्द्र सरकार के दिये गए निदेश के आलोक में हर संभव योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

31. निरसन:-

(i) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत इस आदेश के अधिसूचित होने के पूर्व से उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं के विरूद्ध लंबित कार्रवाई तत्कालीन समय में लागू आदेश के अंतर्गत निष्पादित की जायेंगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क, द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अवधि एंव अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दीकरण, तलाशी एवं जब्ती, दण्ड, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल का परिवर्तन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष–सिद्धियों का परिणाम तथा अपील से संबंधित पूर्व में निर्गत पत्र, परिपत्र, आदेश, निदेश एतद् द्वारा विलोपित समझे जायेगें, परंतु जन वितरण प्रणाली

व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं से संबंधित आदेश, निदेश, पत्र एवं परिपत्र पूर्व की भाँति लागू रहेंगे।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्र जो नियंत्रण आदेश के प्रावधानों कें प्रतिकूल न हो, लागू रहेगा एवं आदेश के अधीन अधिसूचित समझा जायेगा।

राशन संबंधित शिकायत हेतु

खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा उपभोक्ता मामले अब पोर्टल में दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत

टोल फ्री न0. 18002125512

(TOLL FREE NUMBER)

What App No. 8969583111

Landline No. 0651-7122723

(10AM to 5PM Monday to Saturday)

संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (District Grievance Redressal Officer) जिला अपर समहर्त्ता अधिकारी – (Additional Commissioner) को भी संपर्क किया जा सकता हैं।

संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी (District Supply Officer) को भी संपर्क किया जा सकता हैं।

शिकायत दर्ज करने के 30 दिन तक जिला में कार्रवाई नहीं होने से राज्य खाद्य आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

राज्य खाद्य आयोग (State Food Commision)

पताः E-1/18, Saket Nagar, Hinoo,
In front of Registration Office, Ranchi - 02
E-mail: jharfoodcommission@gmail.com
www.sfcjharkhand.in